



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रारूप-5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्रं०/ 684 /2023

इन्दौर, दिनांक..23/11/23


प्र०क्रं०502...../बी-121/2023-24

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-सुल्लाखेड़ी तहसील-सांवेर जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-


श्री/श्रीमती/मेसर्स :- अग्रवाल रियल इन्फ्रा एल.एल.पी तर्फे पार्टनर
श्रीमती नीनादेवी अग्रवाल
पति :- श्री विनोद कुमार अग्रवाल
पता :- अग्रवाल हाउस, 5, यशवंत कॉलोनी, वाय. एन. रोड,
इंदौर (म.प्र.)

कालोनी का नाम :- " EMERALD GATEWAY "

ग्राम-सुल्लाखेड़ी तहसील-सांवेर जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 5/1 रकबा 1.169 हे., 5/2 रकबा 1.169 हे., 6/1 रकबा 2.634 हे., 6/2 रकबा 1.368 हे., 7 रकबा 1.263 हे. कुल कित्ता 05 कुल रकबा 7.603 हे. भूमि पर " EMERALD GATEWAY " कालोनी की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन उपरांत आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु कालोनी विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए प्रदान की जाती है:-


अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

- 1- म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।
- 2- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु दी गई अनुज्ञा में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3- यदि लागू हो तो नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 एवं शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के उपबंधो का पालन करना होगा।
- 4- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.) के पत्र-क्रमांक 2013/एस.पी.-आई-64/22/नग्रानि/2023 इन्दौर, दिनांक 19.06.2023 के अनुसार विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित 32 भूखण्ड एवं निम्न आय समूहों के लिये आरक्षित 16 भूखण्डों को पहली प्राथमिकता नियमानुसार देनी होगी।
- 5- म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित उपबंधो का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 6- म.प्र. राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 में प्रकाशित म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 3 (तीन) में उल्लेखित “शासकीय निर्माण कार्य/रहवासी कालोनी, बहुमंजिला इमारत के विकास में, शासकीय ठेकेदार/बिल्डर द्वारा विधिमान्य खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के बिना गौण खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा” उपबंध का पालन करना अनिवार्य होगा।


अपर कलेक्टर
कालोमी सेल शाखा
जिला इंदौर


7- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.) के पत्र-क्रमांक 2013/एस.पी.-आई-64/22/नग्रानि/2023 इन्दौर, दिनांक 19.06.2023 से अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर विकास अनुमति जारी की गई है। विकास अनुमति प्रदाय करने के पश्चात् यदि आपके द्वारा उक्त अभिन्यास में कोई संशोधन नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत करवाया जाता है तो उसके लिये पृथक से संशोधित विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत ही विकास एवं निर्माण कार्य मान्य होगा। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.) के पत्र-क्रमांक 2013/एस.पी.-आई-64/22/नग्रानि/2023 इन्दौर, दिनांक 19.06.2023 से स्वीकृत अभिन्यास एवं विकास अनुमति की शर्तों के विपरीत कार्य किये जाने पर विकास कार्य पूर्णता प्रदाय नहीं की जावेगी।

9- आपके द्वारा भुगतान किये गये कॉलोनी अनुज्ञा शुल्क एवं अतिरिक्त आश्रय शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।

10- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियां ली जाना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

11- कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।


अध्यक्ष कालोनी
कालोनी डेवेलपमेंट शाखा
जिला इन्दौर